

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड  
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आपराधिक प्र. कं. 716 / 2014

आर.सी.टी.नं. 331 / 2014

संस्थित दिनांक 10.11.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, अंजड,  
जिला-बडवानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. गल्या पिता मांगीलाल भीलाला, आयु 55 वर्ष,  
निवासी पान्या थाना अंजड,जिला बडवानी म0प्र0 ।
2. कंचनबाई पिता गल्या भीलाला, आयु 52 वर्ष,  
निवासी पान्या थाना अंजड,जिला बडवानी म0प्र0 ।
3. पवन पिता गल्या भीलाला, आयु 28 वर्ष,  
निवासी पान्या थाना अंजड,जिला बडवानी म0प्र0 ।

-----अभियुक्तगण

राज्य तर्फे एडीपीओ

— श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्तगण तर्फे अभिभाषक

— श्री आर.के. श्रीवास ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 22.05.2018 को घोषित )

अभियुक्तगण पर धारा 452,294,323,506 भाग-2,34 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि,उन्होंने दिनांक 03.11.2014 को समय प्रातः 09:00 बजे,स्थान-ग्राम पान्या में फरियादी अनारबाई को उपहति कारित करने की तैयारी कर घर में प्रवेश कर जो कि, मानव निवास एवं संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, में गृह अतिचार कारित किया,फरियादी को मां बहन की अश्लील गालिया देने,लात घुसों से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप है ।

2. अभियुक्तगण व फरियादी/आहत् अनारबाई के मध्य अंतर्गत धारा

294,323,506 भाग-2 भा.द.सं. में राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अंतर्गत दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452 भा.द.सं. में विचारण जारी रखा गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, दिनांक 03.11.2014 को शाम 09:00 बजे वह घर पर अकेली थी तब पड़ोस में रहने वाला उसका देवर गल्या, उसकी पत्नी कंचनबाई व उसका लड़का पवन तीनों उसके घर में घुस गये तथा उसे नंगी नंगी मां बहन चोदु की गालियां देने लगे तथा बोले कि, हमको जमीन का हिस्सा कम दिया है, तो उसने गालियां देने से मना किया तो तीनों अभियुक्तगण ने उसके साथ लात व घुसों से मारपीट करने लगे तब वह चिल्लायी तो गांव का बाला व गंगाराम आये तथा बीच बचाव किया। फिर तीनों अभियुक्तगण बोले कि, जमीन का पुरा हिस्सा नहीं दिया तो किसी दिन जान से खत्म कर देगे। घटना की बात उसने उसके भाई को बतायी एवं उसे साथ लेकर रिपोर्ट करने गयी थी। उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड में अपराध क्रं0 291/2014 का दर्ज कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 452, 294, 323, 506 भाग-2/34 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फसाया जाना व्यक्त किया है, तथा बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.11.2014 को समय प्रातः 09:00 बजे, स्थान- ग्राम पान्या में फरियादी अनारबाई को उपहति कारित करने की तैयारी कर घर में प्रवेश कर जो कि, मानव निवास एवं संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में गृह अतिचार कारित किया?

#### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अनारबाई (अ.सा.1) व आर.ए. यादव (अ.सा.2), के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्तगण की ओर उनकी प्रतिरक्षा

में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

7. प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्विवादित तथ्य यह है कि, फरियादी/आहत् एवं अभियुक्तगण के मध्य हुये राजीनामा के परिणामस्वरूप फरियादी/आहत् द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित भा.द.वि. की धारा 294,323,506 भाग-2/34 के अपराध का शमन किया गया है। परिणामतः उक्त धाराओं के आरोप से अभियुक्तगण को दिनांक 20.03.2017 को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण का विचारण केवल भा.द.वि. की धारा 452 के आरोप के लिये किया जा रहा है। फरियादी/आहत् अनारबाई(अ.सा.1) ने यह बताया है कि, वह अभियुक्तगण को जानती है, जो उसके रिश्तेदार है। घटना लगभग 2-3 वर्ष पूर्व सुबह के समय की है। अभियुक्तगण ने उसे जमीन के बटवारे की बात को लेकर मां बहन की गालियां दी थी एवं उसके साथ मारपीट की थी। इसके अलावा अन्य कोई घटना नहीं हुयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अंजड में की थी। जिस पर साक्षी का आगुठा निशानी है।

8. इसी अवस्था पर अभियोजन द्वारा साक्षी अनारबाई(अ.सा.1) से प्रतिपरीक्षण में पूछ जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये जिसमें फरियादी/आहत् अनारबाई (अ.सा.1) ने अभियोजन के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि, अभियुक्तगण झगड़े के समय उसके घर के अंदर घुस गये थे तथा उन्होंने उसके साथ घर के अंदर मारपीट की थी एवं नंगी नंगी गालियां दी थी। साक्षी द्वारा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि, अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी तथा पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय रिपोर्ट प्र.पी.1 में साक्षी स्वयं द्वारा अभियुक्तगण द्वारा घर में घुस जाने वाली तथा अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है किन्तु यह अस्वीकार किया है कि, राजीनामा हो जाने के कारण वह आज घटना के संबंध में सही बात नहीं बता रही है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा इन सुझावों को स्वीकार किया है कि, साक्षी तथा अभियुक्तगण के मध्य खेत का विवाद है जिसमें दोनों पक्षों के मध्य बटवारा हो गया है और उनका राजीनामा भी हो गया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि, पुलिस द्वारा उसको रिपोर्ट पढकर नहीं बतायी थी तथा साक्षी ने रिपोर्ट व कथन में घर में घुस कर मारपीट करने वाली बात नहीं बतायी थी।

10. साक्षी आर.ए.यादव(अ.सा.2) जिनके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि, घटना दिनांक को उसे अपराध कं. 291/2014 अंतर्गत धारा 294,323,506,452/34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु सहायक उप निरीक्षक श्यामलाल यादव से प्राप्त हुयी थी। उसके द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल ग्राम पान्या पहुंचकर नक्शामौका प्र.पी. 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा विवेचना के दौरान

साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सभी सुझावों से इंकार किया है।

**11.** प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, प्रकरण में स्वयं फरियादी/आहत अनारबाई(अ.सा.1), के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में ऐसा अभिकथित नहीं किया है कि, अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादी/आहत अनारबाई स्वयं को उपहति कारित करने की तैयारी कर घर में प्रवेश कर जो कि, मानव निवास एवं संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में गृह अतिचार कारित किया। इसके विपरित साक्षी ने घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा गृह प्रवेश कर उपहति कारित करने की अभियोजन कहानी से पूर्णतः भिन्न कथन किये हैं। अभियोजन के द्वारा अनुसंधानकर्ता के कथन कराये गये, किन्तु आहत साक्षी अनारबाई(अ.सा.1) द्वारा अभियोजन कहानी का लेखमात्र भी समर्थन नहीं किया है। इस कारण प्रकरण में अनुसंधानकर्ता के कथनों पर प्रकाश डाला जाना आवश्यक नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

**12.** अभियोजन का यह दायित्व है कि, वह आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे। वर्तमान मामले में अभियोजन के मामले का स्वयं आहत अनारबाई ने समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में अन्य साक्षीगण के कथनों पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्तगण दोषमुक्ती के पात्र हो गये हैं। अतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण गल्या पिता मांगीलाल, कंचनबाई पति गल्या व पवन पिता गल्या को भा.द.सं. की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**13.** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं, जप्त सम्पत्ति कुछ नहीं है।

**14.** अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही /—  
(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही /—  
(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.